

28/11
2022

वादी एवं उनके अधिवक्ता ने उपस्थित होकर वाद प्रकरण में वादी एवं अधिवक्ताओं के मध्य बाजीनामा हो जाने से वाद प्रकरण में कोई कार्यवाही आगे नहीं चलेगी है का प्रतीक पत्र प्रस्तुत किया गया जिस पर पत्रावली को सीगट से हल्व की गई। वकील वादी एवं वादी को सुना गया पत्रावली का अवलोकन किया गया। वाद जांच अवलोकन पश्चात् वकील वादी द्वारा प्रस्तुत दायित्वों को स्वीकार किया जाता है। न्यायालय दण्ड में विचाराधीन वाद संख्या 92/2021 में कार्यवाही आगे वादी नहीं चलाता चाहता है वाद प्रकरण में कार्यवाही इसी स्तर पर बंद की जाती है। पत्रावली के अंत में शुमार होकर नम्बर से कम है।

उपखण्ड अधिकारी
डूंगला

